संख्या- 02/2022/2429/33-3-2021-33/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2022**

विषय- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को वर्ष 2021-22 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान (अनटाइड ग्रांट) की द्वितीय किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-F.-15(4) F.C.-XV-FCD/2020-25 दिनांक 23.12.2021,आपके पत्र संख्या-6/1636/2021-6/142/2019-20 दिनांक 24.12.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु द्वितीय किश्त की बुनियादी अनुदान (अनटाइड ग्रांट) की अवमुक्त कुल धनराशि रू. 1441.60 करोड़ (रू. चौदह सौ इकतालीस करोड़ साठ लाख मात्र) में से क्रमश: जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को संलग्न फाण्ट के अनुसार निम्नवत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय पन्द्रहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-30/2020/1594/33-3-2020-33/2020 दिनांक 29.06.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) पंचायतीराज संस्थाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी.एफ.एम.एस. के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्थाओं का बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

(6) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(8) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(9) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) पंचायती राज संस्थाओं हेतु भारत सरकार से आवंटित द्वितीय किश्त की बुनियादी अनुदान (अनटाइड ग्रांट) की कुल धनराशि रू. 1441.60 करोड़ निम्नवत व्यवस्थानुसार अवमुक्त की जायेगी:-

क्र0सं0	**पंचायतीराज संस्थाएं (अनुपात)**	**धनराशि (रू. में)**
1	जिला पंचायत (15 प्रतिशत)	**2,16,24,00,000/-**
2	क्षेत्र पंचायत (15 प्रतिशत)	**2,16,24,00,000/-**
3	ग्राम पंचायत (70 प्रतिशत)	**10,09,12,00,000/-**
कुल योग		**14,41,60,00,000/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक अनुदान संख्या-14 के निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जाएगा:-

क्र0सं0	पंचायतीराज संस्थाएं	लेखाशीर्षक	अवमुक्त धनराशि
1	**जिला पंचायत**	2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यकम-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय संस्थाओं को सहायता- 05- 15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**2,16,24,00,000/-**
2	**क्षेत्र पंचायत**	2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता- 05-15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**2,16,24,00,000/-**
3	**ग्राम पंचायत**	2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-05-15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**10,09,12,00,000/-**
कुल योग			**14,41,60,00,000/-**

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- समस्त मण्डलायुक्त।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 ।
8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।
10- संबंधित बैंकों को।
11- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
13- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
14- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
15- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
16- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 02/2022/2429/33-3-2021-33/2020 दिनांक 06 जनवरी, 2022 का संलग्नक

(धनराशि रू. में)

क्र.स.	जनपद	जिला पंचायत	क्षेत्र पंचायत	ग्राम पंचायत	योग (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	35938782	35938782	167714316	239591880
2	अलीगढ़	32965532	32965532	153839150	219770214
3	अम्बेडकर नगर	28424814	28424814	132649132	189498760
4	अमेठी	25726210	25726210	120055645	171508065
5	अमरोहा	19451676	19451676	90774490	129677842
6	औरैया	16663779	16663779	77764303	111091861
7	अयोध्या	28149832	28149832	131365881	187665545
8	आजमगढ़	58102670	58102670	271145792	387351132
9	बागपत	14071112	14071112	65665188	93807412
10	बहराइच	44612755	44612755	208192855	297418365
11	बलिया	39577015	39577015	184692739	263846769
12	बलरामपुर	28339434	28339434	132250690	188929558
13	बांदा	23126843	23126843	107925269	154178955
14	बाराबंकी	40465455	40465455	188838789	269769699
15	बरेली	41978366	41978366	195899043	279855775
16	बस्ती	30009895	30009895	140046175	200065965
17	भदोही	17816062	17816062	83141624	118773748
18	बिजनौर	39526090	39526090	184455085	263507265
19	बदायू	36086429	36086429	168403336	240576194
20	बुलन्दशहर	37212328	37212328	173657531	248082187

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	चन्दौली	24364001	24364001	113698673	162426675
22	चित्रकूट	13844879	13844879	64609433	92299191
23	देवरिया	37626562	37626562	175590625	250843749
24	एटा	21671232	21671232	101132414	144474878
25	इटावा	17613019	17613019	82194087	117420125
26	फर्रूखाबाद	20687150	20687150	96540033	137914333
27	फतेहपुर	32910092	32910092	153580429	219400613
28	फिरोजाबाद	23211378	23211378	108319765	154742521
29	गौतमबुद्धनगर	4697380	4697380	21921104	31315864
30	गाजियाबाद	9688574	9688574	45213345	64590493
31	गाजीपुर	46099737	46099737	215132105	307331579
32	गोण्डा	45486132	45486132	212268617	303240881
33	गोरखपुर	46686542	46686542	217870528	311243612
34	हमीरपुर	14768705	14768705	68920624	98458034
35	हापुड़	13055610	13055610	60926179	87037399
36	हरदोई	51972245	51972245	242537143	346481633
37	हाथरस	16981069	16981069	79244987	113207125
38	जालौन	17037574	17037574	79508680	113583828
39	जौनपुर	55668648	55668648	259787025	371124321
40	झांसी	19801063	19801063	92404960	132007086
41	कन्नौज	19435648	19435648	90699690	129570986
42	कानपुर देहात	22512419	22512419	105057956	150082794
43	कानपुर नगर	22775959	22775959	106287811	151839729
44	कासगंज	16573228	16573228	77341729	110488185
45	कौशाम्बी	18417753	18417753	85949515	122785021

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

46	खीरी	52079690	52079690	243038552	347197932
47	कुशीनगर	41485076	41485076	193597021	276567173
48	ललितपुर	18038231	18038231	84178410	120254872
49	लखनऊ	18024834	18024834	84115894	120165562
50	महाराजगंज	32555374	32555374	151925079	217035827
51	महोबा	12028818	12028818	56134484	80192120
52	मैनपुरी	22115661	22115661	103206416	147437738
53	मथुरा	24008178	24008178	112038166	160054522
54	मऊ	22413632	22413632	104596948	149424212
55	मेरठ	23309306	23309306	108776760	155395372
56	मिर्जापुर	31950968	31950968	149104518	213006454
57	मुरादाबाद	26505088	26505088	123690411	176700587
58	मुजफ्फरनगर	30391119	30391119	141825223	202607461
59	पीलीभीत	24892839	24892839	116166582	165952260
60	प्रतापगढ़	40102058	40102058	187142935	267347051
61	प्रयागराज	58871066	58871066	274731640	392473772
62	रायबरेली	36129710	36129710	168605312	240864732
63	रामपुर	24086344	24086344	112402940	160575628
64	सहारनपुर	33878595	33878595	158100112	225857302
65	सम्भल	24560512	24560512	114615724	163736748
66	सन्त कबीर नगर	20814123	20814123	97132573	138760819
67	शाहजहापुर	33899206	33899206	158196297	225994709
68	शामली	13107358	13107358	61167669	87382385
69	श्रावस्ती	15181038	15181038	70844845	101206921

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

70	सिद्धार्थ नगर	31385547	31385547	146465885	209236979
71	सीतापुर	56171542	56171542	262133864	374476948
72	सोनभद्र	26537831	26537831	123843211	176918873
73	सुल्तानपुर	31659847	31659847	147745959	211065653
74	उन्नाव	37207181	37207181	173633514	248047876
75	वाराणसी	27177550	27177550	126828566	181183666
	योग-	**2162400000**	**2162400000**	**10091200000**	**14416000000**

रू. 1441.60 करोड़ (रू. चौदह सौ इकतालीस करोड़ साठ लाख मात्र)

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।